

उप कोषाधिकारी  
माण्डलगढ़ (भीलवाड़ा)  
- 7 DEC 2017  
राजस्थान



प्रारूप 26

(नियम 4 क देखिये)

.....183- माण्डलगढ़.....निर्वाचन क्षेत्र से .....

( निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

शान्तपुर विधानसभा क्षेत्र माण्डलगढ़, 183, (सदन का नाम) के लिये निर्वाचन के लिये रिट निर्गण ऑफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र :-

हरविन्द कुमार माग अ  
मैं बनवारी पुत्र बनवारी आयु 37 वर्ष जो माण्डलगढ़  
(डाक का पुरा पता) का/की निवासी हूँ। और  
उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ। सत्यप्रतिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि :

(1) मैं एक अभ्यर्थी हूँ जिसे निर्दलीय ( राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खडा किया गया है/निर्दलीय अभ्यर्थी के रूप में चुनाव लड़ रहा हूँ।

(जो लागु न हो उसके काट दें)

(2) मेरा नाम माण्डलगढ़ निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम), मे कम सं. 1052 भाग सं 199 में प्रवृष्टि है।

(3) मेरा/मेरे 998304426 संपर्क दूरभाष संख्या/संख्याएँ और अ/ 2  
ईमेल पता(यदि कोई हो) है तथा । अ/ 2  
।।। अ/ 2 मेरा/मेरे सोशल मीडिया खाता/खाते(यदि कोई हो/हैं)।

(4) स्थाई खाता सं. (पेन) और आय-कर विवरणी फाईल करने की प्रास्थिति :

क्र.सं.	नाम	पी ए एन (स्थायी खाता संख्या)	वह वित्तीय वर्ष जिसके लिये अंतिम आयकर विवरणी फाईल की गई है।	आयकर विवरणी में दर्शाई गई कुल आय (रूपये)
	स्वयं	37455779062	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	पति	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
3	आश्रित -1	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
4	आश्रित -2	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
5	आश्रित -3	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं

(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराध) का/की नहीं हूँ। जिसके समक्ष अधिकारिता गले न्यायालय द्वारा आरोप विचरित किया गया है।

(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध(अपराध) का / की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगी/करेगा



ATTESTED  
Kailadsh Chandra Tamoli  
NOTARY  
MANDLAGARH  
Mandlagarh (Mandlagarh)

अ/ 2

AWO - 241030226811

नाम मुद्रांक विक्रेता - राजेन्द्र कुमार वैष्णव अनुज्ञा पत्र सं. 65/15

रजिस्टर क्र.सं. 1955 दिनांक 3/1/18 मुद्रांक वेल्डु व क्र.सं. 802

मुद्रांक क्रेता नरिपि पितृ गति वरवार मिकलपुत्र

पता नो 35/18 (31)

प्रयोजन शिपुल

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1998 के अन्तर्गत स्टाम्प राशि पर प्रमावित अधिभार	
1. अध्यागमन अवसरवर्ती सुविधाओं हेतु (धारा-3) क 10% रूपये	5
2. गाय व पशुकी नस्ल के संरक्षण संवर्धन हेतु (धारा-3) ख 10% रूपये	5
कुल योग	= 10
हस्ताक्षर स्टाम्प वेण्डर	5

क्रेता के हस्ताक्षर

उत्तरि 21/18

विक्रेता के हस्ताक्षर

(i) मेरे विरुद्ध ऐसे लंबित मामले जिसमें न्यायालय ने दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए आरोप विरचित किए हैं, निम्नलिखित हैं:-

(क)	संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण विवरण के साथ मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं	लागू नहीं
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है।	लागू नहीं
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख।	लागू नहीं
(घ)	न्यायालय जिसने आरोप विरचित किए हैं	लागू नहीं
(ङ)	तारीख जिस पर आरोप विरचित किए गए	लागू नहीं
(च)	क्या सभी या किसी कार्रवाई पर किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोक लगाई गई है।	लागू नहीं

(ii) निम्नलिखित मामले मेरे विरुद्ध लंबित हैं, जिनमें न्यायालय ने संज्ञान लिया है [ऊपर मद (i) में लिखित मामलों के] अलावा:-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख :	लागू नहीं
(ख)	मामलों का ब्यौरा जिनमें न्यायालयों ने संज्ञान लिया है, अधिनियमों की धाराओं और अपराधों का विवरण जिनमें संज्ञान लिया गया	लागू नहीं
(ग)	उपरोक्त आदेशों के विरुद्ध फाइल की गई अपील, पुनरीक्षण के लिए आवेदन (आवेदनों (यदि कोई हैं), के ब्यौरे	लागू नहीं

(6) मुझे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से निम्न किसी अपराध (अपराधों) के लिए सिद्धदोष नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के कारावास से दंडादिष्ट नहीं किया है।

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया या दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा।

निम्नलिखित मामलों में, मुझे न्यायालय द्वारा सिद्धदोष और कारावास से दंडादिष्ट किया गया है।

(क)	संबंधित मामलों के अधिनियम (अधिनियमों), धारा (धाराओं) का ब्यौरा और अपराधों का वर्णन जिनके लिए सिद्धदोष किया गया	लागू नहीं
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	लागू नहीं
(ग)	अधिरोपित दंड	लागू नहीं
(घ)	क्या सिद्धदोष आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हा, तो अपील का ब्यौरा और वर्तमान प्रायस्थिति :	लागू नहीं



ATTESTED  
Kailash Chandra Tamra  
MANDALGARH  
Taluka Khatwas, District Bikaner

37/10/25

(7) यह कि मैं, अपनी पत्नी/पति और आश्रितों की आस्तियों (स्थाई और अस्थाई आदि) का ब्यौरा यहां नीचे देता हूं :

अंगम सम्पत्तियों का ब्यौरा :

टिप्पण 1 : संयुक्त नाम पर आस्तियों, संयुक्त स्वामित्व के विस्तार को भी उपदर्शित किया जाना है।

टिप्पण 2 : निक्षेप/विनिधान की दशा में, क्रम सं., रकम, निक्षेप की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्थान और शाखा के नाम सहित ब्यौरा दिया जाना है।

टिप्पण 3 : वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार सूचीबद्ध कंपनियों की बाबत स्टॉक एक्सचेंज में और असूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखा बहियों के अनुसार बंधपत्र/डिबेंचर का मूल्य।

टिप्पण 4 : आश्रित का वही अर्थ है जो जैसा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 75 के स्पष्टीकरण (v) में उसका है।

टिप्पण 5 : प्रत्येक विनिधान की बाबत सहित रकम ब्यौरे पृथक् रूप से दिया जाना है।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति/पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	हाथ में रोकड़	100000	नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
(ii)	बैंक खातों में निक्षेप के ब्यौरे (एफडीआर, अवधि निक्षेप और बचत खातों सहित अन्य सभी प्रकार के निक्षेप), वित्तीय संस्थानों, गैर बैंकिंग, वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों में निक्षेप और ऐसे प्रत्येक निक्षेप की रकम	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
(iii)	बंधपत्रों, डिबेंचरों/शेयरों और कंपनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में विनिधान के ब्यौरे और रकम	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
(iv)	एनएसएस, डाकीय बचत, बीमा पॉलिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाक विभाग व बीमा कंपनी के किसी वित्तीय लिखित में विनिधान और रकम	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
(v)	या फर्म, कंपनी, न्यास आदि किसी व्यक्ति अस्तित्व को दिया गया व्यक्तिगत ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्तियां और रकम	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
(vi)	मोटर यान/वायुयान/नाव/जहाज (निर्माण, रजिस्ट्रेशन संख्या आदि का ब्यौरा, खरीद के वर्ष और रकम)	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
(vii)	आभूषण, बुलियन और मूल्यवान चीजें (भार और मूल्य के ब्यौरे)	कुछ नहीं	20 लाख (लगभग) 6000000	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
(viii)	कई अन्य आस्तियां जैसे दावे का मूल्य	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
(ix)	कुल कुल मूल्य	कुछ नहीं	नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं



ATTESTED  
Karim Chandra Tamboli  
NOTARY  
MANDAI GARH  
District Bhilwara (Raj.)

37/2/2025

**ख. स्थावर आस्तियों के ब्यौरे :**

टिप्पण 1 : संयुक्त स्वामित्व वाली संपत्तियों, संयुक्त स्वामित्व के विस्तार को भी उपदर्शित किया जाना करें।

टिप्पण 2 : इस रूपविधान में प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का अलग से उल्लेख होना चाहिए।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति/पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	कृषि भूमि का/के स्थान, सर्वेक्षण संख्यांक	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	क्या विरासती संपत्ति है (हां या नहीं)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	विकास, निर्माण आदि के रूप में भूमि पर किया गया कोई विनिधान	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(ii)	गैर कृषि भूमि : स्थान	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	सर्वेक्षण संख्यांक	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	क्षेत्र (वर्गफीट में कुल माप)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	क्या विरासती संपत्ति है (हां या नहीं)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	विकास, निर्माण आदि के रूप में भूमि पर किया गया कोई विनिधान	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) स्थान	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	सर्वेक्षण संख्यांक	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	क्षेत्र (वर्गफीट में कुल माप)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	निर्मित क्षेत्र (वर्गफीट में कुल माप)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	क्या विरासती संपत्ति है (हां या नहीं)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	विकास, निर्माण आदि के रूप में भूमि पर किया गया कोई विनिधान	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं



Kailash Chandra Singh  
Notary Public  
Kanpur, India

27/11/2024

(iv)	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) - स्थान - सर्वेक्षण संख्यांक	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	क्षेत्र (वर्गफीट में कुल माप)	नहीं	कुछ नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	निर्मित क्षेत्र (वर्गफीट में कुल माप)	कुछ नहीं	कुछ नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	बया विरासती संपत्ति है (हां या नहीं)	नहीं	कुछ नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	नहीं	कुछ नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	नहीं	कुछ नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	विकास, निर्माण आदि के रूप में भूमि पर किया गया कोई विनिधान	नहीं	कुछ नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य	नहीं	कुछ नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(v)	अन्य (जैसे संपत्ति में हित)	नहीं	कुछ नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(vi)	ऊपर (i) से (v) का कुल वर्तमान बाजार मूल्य	नहीं	कुछ नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

(8) मैं लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/देयों के ब्यौरे नीचे देता हूँ-

(टिप्पण : कृपया प्रत्येक मद के सामने बैंक, संस्था, अस्तित्व या व्यष्टि के नाम और रकम के अलग-अलग ब्यौरे दें)

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति/पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(1)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं) के ऋण या देय, बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया रकम ऋण का प्रकार	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	ऊपर उल्लिखित से भिन्न किसी अन्य व्यष्टि/अस्तित्व के ऋण या देय, नाम, बकाया रकम, ऋण का प्रकार	नहीं	कुछ नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	कोई अन्य दायित्व	नहीं	कुछ नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	दायित्वों का कुल योग	नहीं	कुछ नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

असहमत

(ii)	सरकार के देय :	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	सरकारी आवास सुविधा से संबंधित विभाग को देय	नहीं	कुछ नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	जल प्रदाय से संबंधित विभाग को देय	नहीं	कुछ नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	विद्युत प्रदाय से संबंधित विभाग को देय	नहीं	कुछ नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	टेलीफोनो/मोबाइलों की पूर्ति से संबंधित विभाग के देय	नहीं	कुछ नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	सरकारी परिवहन से संबंधित विभाग को देय (वायुयानों और हेलीकॉप्टरों सहित)	नहीं	कुछ नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	आय-कर देय	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	संपत्ति कर देय	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	सेवा कर देय	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	नगरपालिक/संपत्ति कर देय	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	बिक्री कर देय	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	कोई अन्य देय	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(iii)	सरकारी के सभी देयों का कुल योग	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(iv)	क्या कोई अन्य दायित्व विवाद-ग्रस्त है, यदि है तो अंतर्वलित रकम और उस प्राधिकारी का उल्लेख करें जिसके समक्ष यह लंबित है।		कुछ नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

(9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे :

(क) स्वयं ..... दुकान

(ख) पति/पत्नी ..... कुछ नहीं

"(9क) आय के स्रोत (स्रोतों) के ब्यौरे :

(क) स्वयं ..... दुकान वापस की बंधा

(ख) पति/पत्नी ..... कुछ नहीं

(10) मेरी शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार है:-

रा. प्रत्याभिषेक विद्यालय नहीं कान्हाडी मान्डलगाँव  
 (प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूरे नाम का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय शिक्षा/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे विद्यालय/महविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम दें और वह वर्ष का ब्यौरा दें जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था।)

भाग-ख

(11) भाग (क) के (1) से (10) में दिए गए ब्यौरों का सार :

1.	अभ्यर्थी का नाम	श्री/श्रीमती/कुमारी <u>अरविन्द कुमारी</u>
2.	डाक का पूरा पता	<u>नई कान्हाडी - मान्डलगाँव</u>
3.	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	<u>183 - मान्डलगाँव</u>
4.	राजनीतिक दल का नाम जिसमें अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अभ्यर्थक मिलीय लिखें)	<u>गिदनीप</u>

अरविन्द

5.	(i) लंबित मामलों की कुल संख्या जहां न्यायालय द्वारा दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए आरोप विरचित किए गए हैं।	कुछ नहीं				
	(ii) लंबित मामलों की कुल संख्या जहां न्यायालय/न्यायालयों ने संज्ञान लिया है (ऊपर मद (1) में उल्लिखित मामलों से भिन्न)	कुछ नहीं				
6.	उन मामलों की संख्या जिनमें दोषसिद्ध और एक वर्ष या अधिक के कारावास से दंडादिष्ट किया गया है [लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 की उपधारा (1), उपधारा (2) और उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाय]	कुछ नहीं				
7.	का स्थायी खाता संख्या (पीएन)	वर्ष जिसमें अंतिम आय-कर विवरणी फाइल की गई है	दर्शाई गई कुल आय			
	(क) अभ्यर्थी	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं		
	(ख) पति या पत्नी	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं		
	(ग) आश्रित	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं		
8.	आस्तियों और दायित्वों के रूपों में ब्यौरे :					
	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
अ.	जंगम आस्तियां (कुल मूल्य)	नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
आ.	स्थायर आस्ति	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	I. स्वार्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	II. क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति के विकास/निर्माण की लागत (यदि लागू हो)	नहीं	कुछ नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	III. (क) स्वार्जित आस्तियों (कुल मूल्य) (ख) विरासती आस्तियों (कुल मूल्य) की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	नहीं	कुछ नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	दायित्व					
	(i) सरकार को देय (कुल)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	(ii) बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	नहीं	कुछ नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
10.	दायित्व जो विवादाग्रस्त है					
	(i) सरकार के देय (कुल)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	(ii) बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	नहीं	कुछ नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	उच्चतम शैक्षिक अर्हता : (प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूरे नाम का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय शिक्षा/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे दें, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम दें और वह वर्ष का ब्यौरा दें जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था।)	कुछ नहीं				



ATTESTED  
 [Signature]  
 [Name]  
 [Address]

3/1/2025



## सत्यापन

मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी यह सत्यापित और घोषित करता हूँ कि इस शपथपत्र की अंतर्वस्तु मेरे सर्वत्र ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई तात्त्विक बात छिपाई नहीं गई है। मैं यह भी घोषित करता हूँ कि :-

- (क) पूर्वोक्त भाग अ की मद 5 और मद 6 और भाग आ में उल्लिखित से भिन्न किसी मामले में मैं दोषसिद्ध नहीं हुआ हूँ या कोई मामला मेरे विरुद्ध लंबित नहीं है;
- (ख) पूर्वोक्त भाग अ की मद 7 और मद 8 तथा भाग आ के मद 8, मद 9 और मद 10 में उल्लिखित से भिन्न मेरी, मेरे पति/ मेरी पत्नी या मेरे आश्रितों की कोई भी आस्ति या दायित्व नहीं है।

..... स्थान पर आज तारीख 6.1.2018 को सत्यापित किया गया।  
माह 12/2016

31/12/18  
अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

- टिप्पण : 1. शपथपत्र, नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन सायं तीन बजे तक फाइल किया जाना चाहिए।
- टिप्पण : 2. शपथपत्र में, शपथ आयुक्त के समक्ष या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या नोटेरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।
- टिप्पण : 3. सभी स्तंभ भरे जाने चाहिए और कोई स्तंभ खाली नहीं छोड़ना चाहिए। यदि किसी स्तंभ में कोई सूचना नहीं दी जानी है तो, यथास्थिति, या तो "कुछ नहीं" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।
- टिप्पण : 4. शपथपत्र या तो टंकित होना चाहिए या सुपाठ्य और स्पष्टतः लिखित होना चाहिए।



ATTESTED  
31/12/18  
Kailash Chandra Tunalah  
NOTARY  
MAN DAR GARH  
Distt. Bahawalpur (Raj.)

6.1.2018

31/12/18

